

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद  
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 802 / 12

संस्थापन दिनांक : 10.10.2012

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—सनमानसिंह पुत्र ओंकारसिंह तौमर उम्र 45 वर्ष  
निवासी ग्राम भौनपुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम एवं धारा 34 म.प्र. आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 25.05.12 को 09:05 बजे या उसके लगभग भौनपुरा स्थित अपनी दुकान पर बिना अनुज्ञप्ति के 50क्वार्टर देशी मसाला शराब कीमत 1500/-रुपये अपने अधिपत्य में रखे और बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक 315बोर का देशी कट्टा और दो 315बोर के जिंदा राउण्ड अपने अधिपत्य में रखे।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.05.12 को फरियादी सतीशसिंह चौहान थाना प्रभारी एण्डोरी को मुखबिर से सूचना मिली जिसे उसने रोजनामचा सान्हा क्रमांक 486 पर दर्ज किया और एएसआई आर0सी0माहौर, आर0 देवेन्द्रसिंह, आर0 सूरतराम, आर0 उमेश शर्मा, आर0 अजयपाल, आर0 शिवराम, और साक्षी रामप्रकाश अ0सा02 के साथ मुखबिर द्वारा बताये स्थान ग्राम भौनपुर पहुंचा जहां आरोपी दुकान के सामने चबूतरे पर डिब्बा रखे हुए बैठा हुआ था जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे पकड़ा और उसका नाम पता पूछा। आरोपी के डिब्बे को खुलवाया गया तो उसमें 50क्वार्टर शराब रखी मिली जो जप्त की गयी और आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी तलाशी लेने पर उसकी कमीज के नीचे बांयी तरफ 315बोर का कट्टा मिला और कमीज की दांयी जेब में दो जिंदा राउण्ड मिले। आयुध और मदिरा का लाइसेन्स चाहा गया तो आरोपी ने न होना

बताया आयुध जप्त कर मौके पर जप्ती पत्रक प्र0पी- 1 व 2 और गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-3 बनाया गया और आरोपी को थाने पर लाया गया थाना वापिसी पर आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी रिपोर्ट पर से थाना एण्डोरी में अप0क0 46/12 पर मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोजन स्वीकृति उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी का परीक्षित नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 25.05.12 को 09:05 बजे या उसके लगभग भौनपुरा स्थित अपनी दुकान पर बिना अनुज्ञप्ति के 50क्वार्टर देशी मसाला शराब कीमत 1500/-रुपये अपने अधिपत्य में रखे ?

2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक 315बोर का देशी कट्टा और दो 315बोर के जिंदा राउण्ड अपने अधिपत्य में रखे ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 पर सकारण निष्कर्ष //

5. साक्षी देवेन्द्र अ0सा01 ने कथन किया है कि वह दिनांक 25.05.12 को थाना एण्डोरी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को सतीशसिंह चौहान ने बताया था कि उसे शराब के संबंध में सूचना मिली है इसलिए ग्राम भौनपुर चलना है सूचना मिलने पर वह, सतीश चौहान, आर0सी0माहौर, अजयपाल, सूरतराम, रामप्रकाश अ0सा02 और शिवराम बताये स्थान पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति शराब बेच रहा था जो पुलिस को देखकर भागने लगा। उसको पकड़कर उसका नाम पता पूछा तो आरोपी सनमान बताया। आरोपी से शराब की पेटी जप्त कर पचास क्वार्टर जप्त किए गए। जप्ती पत्रक प्र0पी-1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी की तलाशी लेने पर एक 315 बोर का कट्टा व दो राउण्ड मिले जिन्हें जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी-2 बनाया गया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6. रामप्रकाश अ0सा02 ने कथन किया है कि वह आरोपी सनमान को नहीं जानता है। उसके समक्ष आरोपी से कोई कट्टा अथवा मदिरा जप्त नहीं हुई। जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व 2 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-3 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी सनमान से उसके सामने एक 315 बोर का कट्टा व दो राउण्ड जप्त किए गए थे इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी से पचास क्वार्टर मदिरा के जप्त किए गए थे और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है। किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है।

7. साक्षी सुरेश अ0सा03 ने कथन किया है कि वह दिनांक 06.06.12 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आर्म मोहरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक

को थाना एण्डोरी के अप0क0 46/12 में जप्त एक 315 बोर का देशी कट्टा और दो जिंदा राउण्ड जांच हेतु प्राप्त हुए थे। जांच के दौरान कट्टे का एक्शन चैक किया था जो सही पाया था और कट्टा चालू हालत में फायर किए जाने योग्य था। दो 315 बोर के राउण्ड चालू हालत में फायर किए जाने योग्य थे जिनके पेंदे पर 8एम.एम.के.एफ. लिखा था। उसे कट्टा व राउण्ड सीलबंद प्राप्त हुए थे जो जांच कर उसी कपड़े में सीलबंद कर थाना एण्डोरी के आरक्षक उमेश शर्मा को वापिस किए थे। उसके द्वारा तैयार की गयी जांच रिपोर्ट प्र0पी-5 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. साक्षी राजू शाक्य अ0सा04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 09.07.12 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को थाना एण्डोरी के अप0क0 46/12 की केस डायरी सहित एक 315 बोर का कट्टा और दो 315 बोर के राउण्ड सीलबंद जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे तब जिला दण्डाधिकारी ने एस.पी. के प्रतिवेदन व केस डायरी के अवलोकन के पश्चात अभियोजन स्वीकृति प्र0पी-6 प्रदान की थी जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री अखिलेश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं जिनके अधीनस्थ उसने कार्य किया है इसलिए हस्ताक्षर पहचानता है।
9. साक्षी सुदीप तौमर अ0सा04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 08.06.12 को आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त गोहद में पदस्थ था तब थाना एण्डोरी के अप0क0 46/12 में जप्त चार सीलबंद मदिरा की शीशियों का परीक्षण किया था जिनके लेबल पर 180 एम.एल. देशी मसाला मदिरा अंकित था रंग कैरामल, गंध अल्कोहलिक, शराब में खट्टापन नहीं, लिटमस डालने पर उदासीन, तापमान 81डिग्री फेरनहाइट, हाइड्रोमीटर 69.8 सूचकांक, तेजी 26.4 अण्डरप्रूफ पाई थी। उसके परीक्षण अनुसार जप्त सैम्पल देशी मदिरा मसाला शराब के थे। उसने पुनः मदिरा को शीशे में भरकर स्वयं के हस्ताक्षर से सीलबंद किया था और तोड़ी गयी सीलों को एक लिफाफे में सीलबंद किया था उसके द्वारा तैयार की गयी जांच रिपोर्ट प्र0पी-7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
10. प्रकरण में जप्तीकर्ता अधिकारी सतीश सिंह चौहान को अभियोजन परीक्षित कराने में असमर्थ रहा है। स्वतंत्र साक्षी रामप्रकाश अ0सा02 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अतः प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में मात्र देवेन्द्र अ0सा01 के कथन ही अभिलेख पर हैं। देवेन्द्र अ0सा01 ने पैरा 2 में बताया है कि वह भौनपुर से थाना करीब दस बजे लौट आये थे और उसके आने के बारे में रोजनामचे में लिखा गया था। एफ.आई.आर. में रोजनामचा सान्हा उल्लिखित नहीं है। जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व 2 में भी रोजनामचा सान्हा क्रमांक का उल्लेख नहीं है और गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-3 में पद क्रमांक 2 में रोजनामचा सान्हा का क्रमांक रिक्त है रोजनामचा सान्हा एवं एफ.आई.आर. में वापिसी का समय 10:50 बजे अंकित है जबकि इस साक्षी ने दस बजे ही थाने पर लौटना बताया है। अतः इस साक्षी ने अभियोजन दस्तावेजों से भिन्न साक्ष्य दी है जबकि रोजनामचा पर प्रविष्टि कर थाने से जाना बताया है तब भी रोजनामचा सान्हा क्रमांक का पद जप्ती पत्रक प्र0पी-1 व 2 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-3 में रिक्त होने का कोई कारण स्पष्ट नहीं होता है।
11. देवेन्द्र अ0सा01 ने पैरा 2 में कथन किया है कि आरोपी की चैकिंग उसके द्वारा नहीं की गयी और किस पुलिस अधिकारी द्वारा चैकिंग की गयी

उसे यह भी याद नहीं है। अतः इस पुलिस साक्षी के घटनास्थल पर उपस्थित होने के बाद भी यह ज्ञात नहीं है कि आरोपी का परीक्षण किस व्यक्ति द्वारा किया गया जोकि पूर्णतः अस्वाभाविक है। जिससे जप्ती पत्रक प0पी-1 व 2 के तथ्य का खण्डन होता है कि उसके समक्ष थाना प्रभारी द्वारा तलाशी लेने पर वस्तु जप्त हुई हैं।

12. देवेन्द्र अ0सा01 ने पैरा 2 में बताया है कि जब आरोपी को गिरफ्तार किया था वहां अन्य कोई मौजूद नहीं था। रामप्रकाश अ0सा02 ने भी स्वयं के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किए जाने से इंकार किया है। अतः देवेन्द्र के कथन से स्वतंत्र साक्षी रामप्रकाश अ0सा02 की उपस्थिति भी अभियोजन मामले के अनुसार प्रमाणित नहीं होती है।
13. अतः एकल साक्षी देवेन्द्र अ0सा01 के कथन से घटनास्थल पर कार्यवाही कर अभियोजन मामले में वर्णित समय पर लौटना स्पष्ट नहीं होता है उसके द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित होने के उपरांत भी किस पुलिस अधिकारी द्वारा आरोपी की तलाशी ली गयी यह बताने में असमर्थता उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति अस्वाभाविक बनाती है इस साक्षी के कथन से रामप्रकाश अ0सा02 के कथन को समर्थन प्राप्त होता है कि उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। स्वतंत्र साक्षी रामप्रकाश अ0सा02 ने भी आरोपी से कोई वस्तु जप्त होने से इंकार किया है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्य अभियोजन मामले को संदेहास्पद बनाते हैं जिससे आरोपी से अभियोजित मदिरा व आयुध जप्त होना ही विश्वसनीय रूप से प्रमाणित नहीं होता है। सुरेश अ0सा03, सुदीप अ0सा04 ने जप्त वस्तु के संबंध में विशेषज्ञ अभिमत दिया है लेकिन आरोपी से वस्तु जप्त होना ही प्रमाणित नहीं हुआ है।
14. अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 25.05.12 को 09:05 बजे या उसके लगभग भौनपुरा स्थित अपनी दुकान पर बिना अनुज्ञप्ति के 50क्वार्टर देशी मसाला शराब कीमत 1500/-रुपये अपने अधिपत्य में रखे और बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक 315बोर का देशी कट्टा और दो 315बोर के जिंदा राउण्ड अपने अधिपत्य में रखे।
15. परिणामतः आरोपी को धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम एवं धारा 34 म.प्र. आबकारी अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
16. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
17. प्रकरण में जप्त कट्टा व राउण्ड अपील अवधि पश्चात निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित किए जायें और जप्त मदिरा अपील अवधि पश्चात नष्ट की जाये अपील होने की दशा में उक्त वस्तुओं के संबंध में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0